भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 882

23 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

श्रीनगर में स्मार्ट सिटी परियोजना

†882. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हुई बारिश के बाद श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत पर्याप्त व्यय किए जाने के बावजूद श्रीनगर में बड़े पैमाने पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने का संज्ञान लिया है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**

(ख) क्या स्मार्ट सिटी परियोजना में वर्षा जल निकासी**,** बाढ़ शमन और शहरी जल प्रबंधन से संबंधित कार्य शामिल थे और यदि हां**,** तो ऐसे कार्यों का ब्यौरा**,** उनकी लागत और वर्तमान स्थिति क्या है**;**

(ग) क्या सरकार ने स्मार्ट सिटी के कार्यों के निष्पादन के बावजूद कई क्षेत्रों में गंभीर जलभराव होने के कारणों का आकलन किया है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और

(घ) क्या इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित जल निकासी बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और प्रभावशीलता की जांच के लिए कोई तकनीकी ऑडिट या जवाबदेही तंत्र शुरू किया गया है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एससीपी) की योजना राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा विधिवत अनुमोदित विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्मार्ट मोबिलिटी, जल, स्वच्छता, सफाई (डब्ल्यूएएसएच), स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट ऊर्जा, पर्यावरण आदि में नागरिकों सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से शहरों की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थानीय स्तर पर बनाई गई है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी द्वारा 31.3.2026 तक दी गई रिपोर्ट के अनुसार, डब्ल्यूएएसएच के तहत 3,633 करोड़ रुपये की धनराशि की कुल 161 परियोजनाओं में

से 3,530 करोड़ रुपये की 157 परियोजनाएं (कुल परियोजनाओं का 98 प्रतिशत) पूरी हो चुकी हैं।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष प्रयोजन तंत्रों की लेखापरीक्षा राज्य महालेखा परीक्षक, लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पास स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए एक बहु-स्तरीय समीक्षा संरचना है। राष्ट्रीय स्तर पर, कार्यान्वयन की निगरानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर, मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा की जाती है। शहरी स्तर पर, सभी 100 स्मार्ट शहरों में विभिन्न हितधारकों के मध्य परामर्श करने तथा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी परामर्श मंच (एससीएएफ) के गठन का प्रावधान है।

*****